

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प: गोल स्टेशन

आदेश:- 166/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गोल लोडा व भूअ.नि. दूधवा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार ज.ल. की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गोल स्टेशन तहसील पंचपुर जिला बांसवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में खाता संख्या 28, 27 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
L	गोल स्टेशन	28, 27	बगिया पुत्र नवलराम कौश ब्राह्मण	बगीराम पुत्र नवलराम कौश ब्राह्मण

(पीठासीन अधिकारी)
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
 बालोतरा कैम्प
 पदेन सहा. कलेक्टर,

क्रमांक :- 555-56

दिनांक :- 8/5/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(पीठासीन अधिकारी)
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
 बालोतरा कैम्प